

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।

दिनांक 08.11.2023

पत्रावली पेश। अभियुक्त/अभियुक्ता की ओर से स्वैच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र पेश। सुना। संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त/अभियुक्ता को दोषसिद्ध कर, जुर्माने से दण्डित किया गया। अनुपालन जमा। कार्यवाही शेष नहीं है। तदनुसार मामले का निस्तारण किया जाता है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।